राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
147 / 2025	12.05.2025	18.8.25

उनवानः

1. औमप्रकाश उम्र 80 साल पुत्र श्री मन्शाराम जाति अहीर निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादी

बनाम

1. अनिल कुमार उम्र 58 साल पुत्र श्री भीखाराम जाति अहीर निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. बीना देवी स्त्री श्री महेन्द्र कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
4. पंजाब नेशनल बैंक शखा नीमराना जरिये शाखा प्रबन्धक

......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0ए0

उपस्थितिः– श्री जितेन्द्र कुमार जांगिड़ योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री जितेन्द्र सिंह चौहान योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 1 की ओर से

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 200 रकबा 0.32 है0, 350 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम विजयसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोपूतली–बहरोड मे स्थित है। उक्त आराजी मिन वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की समभाग सहखातेदारी की आराजी है। आराजी मुतनाजा के मौके पर बाहमी तोर पर किये गये बंटवारा के मुताबिक काबिज है। लेकिन आराजी मुतनाजा रिकार्ड मे सहखातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के दिमांग मे बेईमानी आ गयी है जो आराजी मुतनाजा का बिना विधिवत रूप से तकासामा करवाये ही अच्छा से अच्छा भाग पर जबरन कब्जा कर उस पर कच्चा पक्का निर्माण कर मौकां की स्थिती मे परिवर्तन करना चाहते है या आराजी मुतनाजा के अच्छा से भाग को अपना बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करना चाहते है तथा आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासमा करवाने से साफ इंकार कर दिया। इसलिए आराजी मुतनाजा का मौके पर किये गये बाहमी बंटवारा के मुताबिक विधिवत रूप से तकासमा करने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये । प्रतिवादी सं0 1 बाद तामिल जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आये तथा प्रतिवादी सं0 2 बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

वकील वादी ने निवेदन किया कि दावा तकसीम आराजी का है। इसलिए वादी के वाद पत्र को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाने की प्रार्थना की गई। वकील वादी के निवेदन पर गोर फरमाया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के मुताबिक दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 200, 350 वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की खातेदारी मे दर्ज है। दावा

उपखण्ड अधिकारी

विभाजन आराजी का होने के कारण न्याय हित मे वादी के वाद पत्र को दिनांक 04.08.2025 को प्राम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ता संबंधि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.08.2025 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 200 रकबा 0.32 है0, 350 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम विजयसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 12.08.2025 को तैयार करवाकर, इस न्यायालय मे दिनांक 12.08.2025 को पेश की गई। वकील वादी उपस्थित तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 12.08.2025 के मुताविक खसरा नम्बर 200 रकबा 0.32 है0, 350 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम विजयसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोपूतली–बहरोड के, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है कि:–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	ओमप्रकाश पुत्र मन्शाराम हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार	200 / 1	0.1066
		350 / 1	0.2166
		कुल किता–2 रकबा 0.3232 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	अनिल कुमार पुत्र भीखाराम हि0 1/2 जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा नीमराना मुर्तहन	200 / 2	0.2134
		350 / 2	0.4334
2.	बीना देवी पत्नी महेन्द्र कुमार हि0 1/2 जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा नीमराना मुर्तहन	कुल किता–2 रकबा 0.6468 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.8.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक
147/2025	12.05.2025	18.8.25

उनवानः

1. औमप्रकाश उम्र 80 साल पुत्र श्री मन्शाराम जाति अहीर निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादी

बनाम

1. अनिल कुमार उम्र 58 साल पुत्र श्री भीखाराम जाति अहीर निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. बीना देवी स्त्री श्री महेन्द्र कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
4. पंजाब नेशनल बैंक शखा नीमराना जरिये शाखा प्रबन्धक

......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0ए0

उपस्थितिः– श्री जितेन्द्र कुमार जांगिड़ योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री जितेन्द्र सिंह चौहान योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 1 की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 12.08.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 200 रकबा 0.32 है0, 350 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम विजयसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोपूतली–बहरोड के, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है किः–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	औमप्रकाश पुत्र मन्शाराम हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार	200/1 350/1	0.1066 0.2166
		कुल किता–2 रकबा 0.3232 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	अनिल कुमार पुत्र भीखाराम हि0 1/2 जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन पीएनवी शाखा नीमराना मुर्तहन	200/2 350/2	0.2134 0.4334
2.	वीना देवी पत्नी महेन्द्र कुमार हि0 1/2 जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन पीएनवी शाखा नीमराना मुर्तहन	कुल किता–2 रकबा 0.6468 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताविक तितम्वा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.8.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)